9

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सख्या–3/पेन–01–28/2025– /स्वा0, पटना, दिनांक :

डा0 राजेश कुमार, सेवानिवृत असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगज का दिनांक 24.03.1988 से 01.06.1988 तक की अध्ययन मे बिताई गई अविनियमित अवधि को बिहार सेवा सहिता के नियम–180 के आलोक में असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है:–

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः 87243 /स्वा0, पटना, दिनांक : 29/9/26

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अपर निदेशक, पूर्णियॉ प्रमडल पूर्णियॉ/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः **डा0 राजेश कुमार, सेवानिवृत असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज**, पत्राचार का पता–दीप नेत्रालय, भी0सी0 रेय, क्लीनीक के पिछे, रिलांयस डिजीटल के नजदीक, लाईन बाजार, डाकघर–पूर्णियॉ, थाना--खजांची हाट, जिला–पूर्णियॉ, पिन–854301, मो0नं0 9431087691 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2,7,8,9 एव 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

29/9/26
सरकार के उप सचिव